

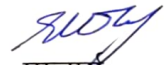


कार्यालय, प्राचार्य, महामाया राजकीय महाविद्यालय, कौशाम्बी

दिनांक : 29.08.2025

सूचना

महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार सभी छात्र/छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है, तथा जिन छात्र/छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।


प्राचार्य

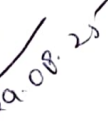
महामाया राजकीय महाविद्यालय

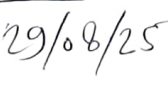
कौशाम्बी
महामाया राजकीय महाविद्यालय
कौशाम्बी







पत्रांक : प्रोरासिविवि/कुसका/2025-1850

दिनांक 27 अगस्त, 2025

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध प्रोरासिविवि, प्रयागराज।

विषय : विश्वविद्यालय/संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किए जाने तथा सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० के पत्र संख्या-ई-5914/32-जी०एस०/2025/103-3/154/2025 दिनांक 26.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किए जाने तथा उनमें सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतएव, आपसे अनुरोध है कि राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० के पत्र दिनांक 26.08.2025 के माध्यम से दिए गए निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

प्रो० (विनीता यादव)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय कुलपति जी।
2. संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर को इस अनुरोध से प्रेषित कि कृपया राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० के पत्र दिनांक 26.08.2025 का संदर्भ ग्रहण करते हुए विश्वविद्यालय परिसर में मा० कुलाधिपति महोदया के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3. उप कुलसचिव-सम्बद्धता।
4. प्रभारी, ई-समर्थ सेल।
5. प्रभारी एजेन्सी को इस निर्देश से कि उक्त पत्र समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉग-इन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

ई-मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ-226027

संख्या:ई-5914/32-जी0एस0/2025/103-3/154/2025

दिनांक 26 अगस्त, 2025

circulate to colleges/10/11/25

Regd 20/8/25
कुलपति

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
(चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश ।

विषय: विश्वविद्यालय/संस्थान व उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा सी.सी.टी. वी. कैमरा लगाये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।
2- माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार 75 प्रतिशत अनिवार्य किये जाने तथा उनमें सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होती है। अक्सर यह पाया जाता है कि छात्रों की कक्षा में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहती है, यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे छात्रों की कम उपस्थिति के कारण नियमानुसार वह परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं।

कृपया छात्रगणों को इस आशय की नोटिस निर्गत करने का कष्ट करें कि यदि किसी छात्र/छात्रा की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होगी तो उसे परीक्षा फार्म भरने की एवं परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इस नोटिस को विश्वविद्यालय/संस्थान व सम्बद्ध महाविद्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ ही इसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाये तथा इससे छात्रगणों को कक्षाओं में व्यक्तिगत रूप से भी अवगत कराया जाये। यदि उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से सुनिश्चित हो तो उपयुक्त होगा ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी ।